फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री कन्हैयालाल पिता शंकरलाल जी नागदा निवासी बुजड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर **— प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 15/2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से जरिये पत्र क्रमांक :— RTI/2026/56—57 दिनांक 23.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री कन्हैयालाल नागदा निवासी बुजड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाह गई सूचनाओ के संबंध में बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना भिजवाई गई, बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना पत्र प्रश्नवाचक प्रकृति की होने से दिया जाना संभव नहीं है, बिन्दु संख्या 3 में आप द्वारा 26.03.2025 को कार्यरत तहसीलदार, पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक का नाम की सूचना चाही गई जो प्रार्थी को भिजवाई गई तथा बिन्दु संख्या 4 में चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से संबंधित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनारे की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्रांक क्रमांक :— RTI/2026/56—57 दिनांक 23.03.2026 से भिजवाई गई। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रश्नवाचन होने से दिया जाना संभव नहीं जाना संभव नहीं है तथा बिन्दु 4 की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से संबंधित नहीं है उक्त बाबत अपीलार्थी को जरिये पत्रांक RTI/2026/56—57 दिनांक	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

23.03.2026 से सूचित किया गया।

अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)